रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

indiacode

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.632 (अ).- केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) **"अधिनियम"** से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है ;

(ख) **"अध्यक्ष, कार्यपालक समिति"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यपालक समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) **"अध्यक्ष, शासी निकाय"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) **"कार्यपालक समिति"** से न्यास की कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"निधि"** से नियम 6 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(च) **"शासी निकाय"** से न्यास का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(छ) **"सदस्य, कार्यपालक समिति"** से कार्यपालक समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) **"सदस्य, शासी निकाय"** से शासी निकाय का सदस्य अभिप्रेत है ;

(झ) **"सुस्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्र"** से भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर पहचान किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ञ) **"न्यास"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. शासी निकाय और कार्यपालक समिति के कृत्य—(1) शासी निकाय, न्यास द्वारा कार्य करने के लिए बृहत्त नीति ढांचे को अधिकथित करेगी और उसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी ।

(2) शासी निकाय, कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा और यह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

(3) कार्यपालक समिति न्यास का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा नियमित अंतरालों पर न्यास निधि के व्यय की मानीटरी और पुनर्विलोकन भी करेगी ।

(4) कार्यपालक समिति अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए नीति ढांचे का और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करेगी ।

(5) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि में फेरफार कर सकेगा या उसकी पदावधि के पूरा होने से पूर्व उसे कार्यपालक समिति से हटा सकेगा ।

4. शासी निकाय की सदस्यता—(1) शासी निकाय के सदस्य पदेन सदस्य होंगे ।

(2) शासी निकाय के विशेष आमंत्रिती, यदि कोई हों, ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे ।

5. कार्यपालक समिति की सदस्यता—(1) पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, जिसके अंतर्गत विशेष आमंत्रिती हैं, को मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु वे ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे ।

6. न्यास के अधीन निधि का गठन—(1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि" के नाम से ज्ञात न्यास के अधीन एक निधि स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(2) न्यास निधि नियम 8 के उपबंधों के अनुसार संदाय करने के लिए धन प्राप्त करेगी और यह ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, अंशदान भी प्राप्त करेगी ।

7. न्यास निधि में अंशदान—(1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी अधिसूचित बैंक में अपने स्वयं के नाम से बैंक खाते खोलने और प्रचालित करने की शक्ति होगी ।

(2) न्यास अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित संदायों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अपने बैंक खाते की विशिष्टियों से संसूचित करेगा ।

(3) खनन पट्टे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनन पट्टे के धारक न्यास निधि को अंशदान के लिए राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम का स्वामिस्व के संदाय के साथ संदाय करेंगे ।

(4) राज्य सरकार ऐसे संदायों से एकत्रित रकम को न्यास के बैंक खाते में जमा करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट जमा को यथाशीघ्र किंतु किसी भी दशा में उस मास, जिसकी बाबत किसी विशिष्ट मास में रकम एकत्रित की गई है, के पश्चातवर्ती मास के दस दिन से पूर्व जमा किया जाएगा ।

(6) इस प्रकार एकत्रित रकम को एकत्रित करने और न्यास निधि में जमा करने तथा केंद्रीय सरकार के साथ लेखाओं को बांटने के लिए, अपेक्षित लेखाओं का अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा ।

(7) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अनुसरण में संदत्त रकमों और भारतीय खान ब्यूरो को स्वामिस्व के संदाय की बाबत सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराएगी ।

(8) भारतीय खान ब्यूरो न्यास के बैंक खाते में अंतरित धन का अद्यतन अभिलेख को रखने के साथ स्वामिस्व संदायों के डाटा बेस का अनुरक्षण करेगा तथा न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा ।

8. कार्यालय और बैंक खाता—(1) न्यास का कार्यालय, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001 या ऐसे अन्य स्थान पर, जो कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएं, होगा ।

(2) न्यास के बैंक खाते को सदस्य सचिव या कार्यपालक समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के माध्यम से खोला और प्रचालित किया जाएगा ।

9. न्यास के उद्देश्य और कृत्य—(1) न्यास खनिजों के लिए प्रादेशिक और विस्तृत खोज करेगा तथा यह ऐसे कार्यकलाप हाथ में लेगा जैसा शासी निकाय द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, जो गहरे या छिपे हुए खनिज भंडारों की पहचान, खोज, निकालने, धातु शोधन और परिष्करण के लिए डिजाइन की गई हैं ;

(ख) खनिज विकास, उन्नत, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों तथा खनिज निकासी, धातु विज्ञान के लिए भरणीय खनन को अंगीकार करने के लिए अध्ययन हाथ में लेना ;

(ग) प्रादेशिक और विस्तृत खोज के लिए क्षेत्रों को पूर्विकता देते हुए विशिष्टता सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को हाथ में लेना ;

(घ) न्यास द्वारा खोज के लिए पूर्विकताओं का विनिश्चय करने के लिए केंद्रीय भू-गर्भीय कार्यक्रम बोर्ड से परामर्श करना ;

(ङ) ऐसी रीति में खोज कार्यकलापों को सुकर बनाना, जिससे खोजे गए क्षेत्रों को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज छूटों को अनुदत्त करने के लिए हाथ में लिया जा सके ;

(च) स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों (जी3) में ब्राउन फील्ड प्रादेशिक खोज परियोजनाओं को पूरा करने को सुकर बनाना, जिसके अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से गहरे खनिज भंडारों की उच्च जोखिम खोज संचालित करना है ;

(छ) संपूर्ण भारत में उन क्षेत्रों में, जहां जी3 स्तर की खोज पूरी कर ली गई है, विस्तृत खोज (जी2 या जी1) को पूरा करने का संवर्धन करना ;

(ज) भू-भौतिकीय, भू और हवाई सर्वेक्षण और स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों के सर्वेक्षण और शेष भारत के सर्वेक्षण को सुकर करना ;

(झ) पृथ्वी विज्ञान और खनिज पूर्वेक्षण के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कोर निक्षेपागार को सुकर बनाना ;

(ञ) खोज में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ; और

(ट) न्यास निधि का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे, या कार्यपालक समिति को भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और खोज के हित में समीचीन या आवश्यक के लिए कार्यपालक समिति को प्राधिकृत करना, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शासी निकाय कार्मिकों को नियोजित कर सकेगा या भाडे पर ले सकेगा, संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा है, का स्वामी हो सकेगा या उसका निपटान कर सकेगा, प्रशासनिक व्यय उपगत कर सकेगा और दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा, जैसा अपेक्षित हो ।

10. न्यास का प्रबंधन—(1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक पुनर्विलोकन और नीति निदेश शासी निकाय में विहित होंगे ।

(2) कार्यपालक समिति न्यास के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी ।

(3) शासी निकाय कार्यपालक समिति को उपनियम (1) में यथावर्णित अपनी किसी या सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) कार्यपालक समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के लिए स्कीम की विरचना करेगी और उसे अंतिम रूप देगी ।

11. समितियां—(1) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों में हाथ में लेने के लिए, जो कार्यपालक समिति द्वारा समिति या समितियों को सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं, के लिए समिति या उप समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति या उप समिति इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के लिए तथा ऐसी शक्तियों और कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्वयं की प्रक्रिया बनाएगी ।

12. कार्यपालक समिति द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन—(1) कार्यपालक समिति स्वयं या राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर निकाय हैं, से परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति पर न्यास के उद्देश्यों से संगत परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर सकेगी।

(2) कार्यपालक समिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत स्वयं की प्रक्रिया की विरचना कर सकेगी।

तद्धीन

13. परियोजनाओं की मॉनिटरी.– (1) न्यास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनिटरी स्वयं या किसी सरकारी सत्ता के माध्यम से करेगा, जिसके अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए न्यास अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत अपनी प्रक्रिया बनाएगा।

14. शासकीय निकाय की बैठकें. – (1) शासकीय निकाय एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) शासकीय निकाय की बैठकों की अध्यक्षता शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शासकीय निकाय के पदेन सदस्यों में से किसी स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेंगे।

(3) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत शासकीय निकाय के परिपत्र संकल्प है, आम सहमति द्वारा किए या अंगीकार किए जाएंगे।

(4) किसी असहमति या विसम्मति की दशा में, अध्यक्ष, शासकीय निकाय का विनिर्णय अंतिम होगा।

15. कार्यपालक समिति की बैठकें – (1) कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) कार्यपालक समिति की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के पदेन सदस्य, सदस्यों में से स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(3) कार्यपालक समिति की बैठकें भौतिक या वास्तविक या परिचालन द्वारा या दोनों से मिलकर होगी :

परंतु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखों के अंगीकरण, न्यास की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु शासकीय निकाय की सिफारिश को लागू नहीं होगी।

(4) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत कार्यपालक समिति के परिपत्र संकल्प हैं, कार्यपालक समिति के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे या अंगीकार किए जाएंगे।

(5) मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्ष, कार्यपालक समिति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा:

परंतु कोई सदस्य, कार्यपालक समिति या उसकी किन्हीं समितियों या उप-समितियों की बैठक में विचार-विमर्श हेतु किसी विषय पर चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि मामला ऐसा है जिसमें ऐसे सदस्य का कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या धनीय हित है।

16. शासकीय निकाय और कार्यपालक समिति की बैठक के लिए नोटस और कार्यसूची. – (1) शासकीय निकाय का अध्यक्ष या संयोजक, अध्यक्ष, शासकीय निकाय की सहमति से शासकीय निकाय की बैठक का यह आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 15 दिन का नोटिस देते हुए करेगा :

परंतु अध्यक्ष, शासकीय निकाय इससे लघुत्तर नोटिस-अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, अध्यक्ष की सहमति से कार्यपालक समिति की बैठक का यह आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन का नोटिस देते हुए करेगा :

परंतु कार्यपालक समिति का अध्यक्ष इससे लघुत्तर नोटिस-अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) किसी बैठक के लिए नोटिस के अंतर्गत उस बैठक की कार्यसूची, पूर्वत्तर बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त और पूर्वत्तर बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट हो सकेगी।

17. बैठक की गणपूर्ति. – (1) शासकीय निकाय की किसी बैठक की गणपूर्ति, विशेष निमंत्रितों को अपवर्जित करते हुए, छह से होगी।

(2) कार्यपालक समिति की किसी बैठक, जिसके अंतर्गत कोई वास्तविक बैठक है, नामनिर्देशित सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, की गणपूर्ति सात से होगी ।

18. कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव की शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व – (1) कार्यपालक समिति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यपालक समिति का एक सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव, -

(क) कार्यपालक समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन न्यास का प्रशासन और प्रबंध करेगा ।

(ख) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कार्यपालक समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जाए या जो अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा समनुदेशित की जा सकेगी ।

(3) उप नियम (2) और (3) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगें, अर्थात् :-

(क) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करवाना और उनको कार्यपालक समिति को शासकीय निकाय के विचार और सिफारिश हेतु प्रस्तुत करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने वाले प्रस्तावों और परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व कार्यपालक समिति की प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नियमों या निदेशों के अनुसार सम्यक तत्परता का प्रयोग किया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि न्यास के कार्यकलाप वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं; और

(घ) शासकीय निकाय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट केंद्रीय सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत तक प्रस्तुत करना ।

19. वार्षिक योजना - कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सुसंगत वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित अल्पावधि परियोजनाओं और दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए योजना, जिसे वार्षिक योजना के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसे समय के दौरान, परियोजनाओं को पूरा करने का अनुमानित समय और ऐसी परियोजनाओं हेतु लागत न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने वाले या पूरे किए जाने वाले कार्यकलापों के ब्यौरे सहित तैयार करवाएगा ।

(2) वार्षिक योजना में न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, कार्यक्रम, कार्यकलाप अंतर्विष्ट होंगे और सुस्पष्टत: निर्धारित लक्ष्य होंगे ।

20. वार्षिक बजट – कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उस विशेष वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना के अंतर्गत कार्यकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय के ब्यौरों से अंतर्विष्ट वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसके अंतर्गत इस संबंध में निधिकरण अपेक्षाओं के ब्यौरों सहित न्यास द्वारा उपगत किए जाने हेतु प्रस्ताव विधिक, प्रशासनिक और अन्य खर्चे हैं, किसी वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

21. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन – (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट शासकीय निकाय के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे ।

(2) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव शासकीय निकाय के संयोजक से सम्यक रुप से अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट की प्रतियां प्राप्त करने पर उनको शासकीय निकाय के अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) उप नियम (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यास, अध्यक्ष, शासकीय निकाय के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अध्यधीन, ऐसे कार्यकलापों हेतु व्यय का जिम्मा ले सकेगा जो वार्षिक योजना में अनुमोदित नहीं किए गए हैं, जिनको शासकीय निकाय के समक्ष अगले वार्षिक बजट सहित रखा जाएगा ।

(4) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट, अध्यक्ष, शासकीय निकाय के अनुमोदन के अध्यधीन किसी भी समय संशोधित किए जा सकेंगे, जो अगले वर्ष की वार्षिक योजना या बजट सहित शासकीय निकाय के समक्ष रखे जाएंगे ।

22. वार्षिक रिपोर्ट – (1) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिन के भीतर ऐसी सूचना जो कार्यपालक समिति द्वारा समुचित समझी जाए से अंतर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यास द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्यकलापों के ब्यौरे और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा उपगत व्यय अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उसके कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

23. वित्तीय वर्ष – (1) न्यास का लेखांकन या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

(2) न्यास की संक्रियाओं का प्रथम वर्ष आंशिक वर्ष हो सकता है ।

24. लेखों का अनुरक्षण और संपरीक्षा –(1) न्यास के लेखे ऐसे प्ररूप, पद्धति और रीति में अनुरक्षित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(2) न्यास निधि के लेखे ऐसे रीति में संपरीक्षित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) न्यास, उपनियम (2) में निर्दिष्ट संपरीक्षा के पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 11/8/2015-एम.आई]

आर.श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R.632 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C and section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 (a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
 (b) "**Chairperson, Executive Committee**" means the Chairperson of the Executive Committee of the National Mineral Exploration Trust established under sub-section (1) of section 9C of the Act;
 (c) "**Chairperson, Governing Body**" means the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust established under sub-section (1) of section 9C of the Act;
 (d) "**Executive Committee**" means the Executive Committee of the Trust;
 (e) "**Fund**" means the fund referred to in rule 6;
 (f) "**Governing Body**" means the Governing Body of the Trust;
 (g) "**Member, Executive Committee**" means the member of the Executive Committee of the Trust;
 (h) "**Member, Governing Body**" means the member of the Governing Body of the Trust;
 (i) "**obvious geological potential areas**" means the area identified by the Geological Survey of India from time to time; and
 (j) "**Trust**" means the National Mineral Exploration Trust established by the Central Government under sub-section (1) of section 9C of the Act.

 (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **The Functions of the Governing Body and the Executive Committee.**- (1) The Governing Body shall lay down the broad policy framework for the functioning of the Trust and review its working.

(2) The Governing Body shall approve the annual plan and annual budget of the Trust upon the recommendations of the Executive Committee and it shall meet at least once in a year.

(3) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the Trust and shall also monitor and review the expenditure of the Trust fund at regular intervals.

(4) The Executive Committee shall, while discharging its functions, follow the policy framework and the directions of the Governing Body from time to time.

(5) The Chairperson of the Executive Committee may vary the term of office of any nominated member or remove him from the Executive Committee before the completion of his term.

4. **Membership of Governing Body.**- (1) The members of the Governing Body shall be *ex officio* members.

(2) Special invitees, if any, of the Governing Body shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

5. **Membership of Executive Committee.**- (1) The ex officio members only shall have voting rights.

(2) Members, other than ex-officio members including special invitees shall have no voting rights but shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

6. **Constitution of a fund under the Trust.**- (1) The Central Government shall, by order, set up a fund under the Trust to be called as the "National Mineral Exploration Trust Fund" to be managed by the Executive Committee of the Trust.

(2) The Trust Fund shall receive monies to be paid in accordance with the provisions of rule 8 and may also receive contributions from such other sources as may be approved by the Central Government.

7. **Contribution to Trust Fund.**- (1) The Trust shall have power to open and operate bank accounts in its own name at any Scheduled Bank as specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(2) The Trust shall communicate the particulars of its bank account to the State Government for the purposes of payments required to be made under sub-section (4) of section 9C of the Act.

(3) The holders of mining lease and prospecting licence-cum-mining lease shall make payments for contribution to the Trust Fund of amount payable under sub-section (4) of section 9C of the Act to the State Government simultaneously with payments of the royalty.

(4) The State Government shall deposit the amount collected from such payments into the bank account of the Trust.

(5) The deposit referred to in sub-rule (4) by the State Government into the designated bank account of the Trust, shall be made as soon as possible, but in any case not later than tenth day of the succeeding month in respect of the amount collected in any particular month.

(6) The responsibility of collection and depositing the amount so collected in the Trust Fund and maintaining necessary accounts to be shared with the Central Government shall be that of the State Government.

(7) The State Government shall provide information regarding amounts paid pursuant to sub-section (4) of section 9C of the Act and royalty payments to the Indian Bureau of Mines on a monthly basis.

(8) The Indian Bureau of Mines shall maintain an updated record of the monies transferred to the bank account of the Trust along with a database of royalty payments and provide such information to the Trust on a periodic basis.

8. **Office and bank account.**- (1) The office of the Trust shall be situated at Ministry of Mines, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, Central Secretariat, New Delhi 110001 or at such other place as may be determined by the Executive Committee.

(2) The bank accounts of Trust shall be opened and operated through the Member Secretary or any other Member of the Executive Committee or any officer of the Central Government, as may be authorised by the Executive Committee.

9. **Objects and Functions of the Trust.**- (1) The Trust shall carry out regional and detailed exploration for minerals and it shall undertake such activities as may be deemed necessary by the Governing Body to achieve its objects including,-

(a) funding special studies and projects designed to identify, explore, extract, beneficiate and refine deep-seated or concealed mineral deposits;

(b) undertaking studies for mineral development, sustainable mining adoption of advanced scientific and

technological practices and mineral extraction metallurgy;

(c) taking up exploration of areas for regional and detailed exploration, giving priority particularly to strategic and critical minerals;
(d) consulting Central Geological Programming Board to decide the priorities for exploration of the Trust;
(e) facilitating exploration activities in such a manner that areas explored can be taken up for grant of mineral concessions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
(f) facilitating completion of brownfield regional exploration projects in obvious geological potential areas (G3) including conducting high-risk exploration for deep-seated mineral deposits through modern technologies;
(g) promoting completion of detailed exploration (G2 or G1) across India in the areas where G3 stage exploration has been completed;
(h) facilitating geophysical, ground and aerial, survey and geochemical survey of obvious geological potential areas and rest of India;
(i) facilitating a national core repository for encouraging research in earth sciences and for evaluation of the mineral prospects;
(j) organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel engaged in or to be engaged in exploration; and
(k) using the Trust Fund for such other purposes that the Governing Body may decide, or authorise the Executive Committee, to be necessary or expedient in the interest of conservation, development and exploitation of mineral resources of India, not inconsistent with the provisions of the Act.

(2) In furtherance of the objectives referred to in sub-rule (1), the Governing Body may employ or hire personnel, own and dispose off property, including intellectual property, incur administrative expenses and execute documents as may be necessary.

10. **Management of the Trust.**- (1) The overall control, periodical reviews and policy directions the Trust shall vest with the Governing Body.

(2) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the day to day activities of the Trust.

(3) The Governing Body may authorise the Executive Committee to exercise any or all of its powers as mentioned in sub-rule (1).

(4)The Executive Committee shall formulate and finalise the scheme for delegation of financial powers.

11. **Committees.**- (1) The Executive Committee may constitute committees or sub-committees to undertake such tasks that may be assigned or delegated by the Executive Committee to such committees or sub-committees.

(2) The committee or sub-committee constituted under sub-rule (1) shall devise its own procedure in the discharge of the duties and responsibilities under these rules and in exercise of such powers and functions as may be specified by the Executive Committee.

12. **Implementation of projects by the Executive Committee.**- (1) The Executive Committee may implement the projects consistent with the objectives of the Trust on its own accord or upon receipt of a project proposal from a State Government or any other entity, including private sector entities.
(2) In implementation of the projects referred to in sub-rule (1), the Executive Committee may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

13. **Monitoring of projects.**- (1) The Trust shall monitor implementation of the projects either by itself or by engaging any government entity, including the Indian Bureau of Mines.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Trust may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

14. **Meetings of the Governing Body.**- (1) The Governing Body shall meet at least once in a year.

(2) The meetings of the Governing Body shall be presided by the Chairperson, Governing Body and in the absence of the Chairperson, Governing Body, the ex-officio Members of the Governing Body may elect an officiating Chairperson, from among themselves.

(3) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Governing Body shall be made or adopted by consensus.

(4) In case of any disagreement or dissent, the ruling of the Chairperson, Governing Body shall be final.

15. **Meetings of the Executive Committee.**- (1) The Executive Committee shall meet at least once in every three months.

(2) The meetings of the Executive Committee shall be presided by the Chairperson, Executive Committee and in the absence of the Chairperson, Executive Commitee, the ex-officio Members of the Executive Committee may elect an officiating Chairperson, from among themselves.

(3) The meetings of the Executive Committee may be either physical or virtual or by circulation or by combination of both:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust, recommendation to Governing Body for approval of annual plan, annual budget and annual report of the Trust.

(4) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Executive Committee shall be made or adopted by a majority of votes of the members of the Executive Committee present and voting.

(5) In case of equality of votes, the Chairperson, Executive Committee, or in his absence, the member presiding over such meeting as the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that no member shall vote or take part in the discussion of any matter coming up for consideration at a meeting of the Executive Committee or any of its committees or sub-committees, if the matter is one in which such member has any direct, indirect or pecuniary interest.

16. **Notice and agenda for meeting of the Governing Body and Executive Committee.-** (1) The Chairperson or the Convenor of the Governing Body with the consent of the Chairperson, Governing Body, shall convene the meeting of the Governing Body by giving a minimum fifteen days' notice to all the members:

Provided that the Chairperson, Governing Body may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

(2) The Chairperson or the Member Secretary of the Executive Committee, with the consent of the Chairperson shall convene the meeting of the Executive Committee by giving a minimum seven days' notice to all the Members:

Provided that the Chairperson of the Executive Committee may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

(3) Notice for any meeting may include an agenda for that meeting, draft minutes of the earlier meeting and action taken report on the minutes of the earlier meeting.

17. **Quorum for meeting.-** (1) The quorum for any meeting of the Governing Body shall be six, excluding the special invitees.

(2) The quorum for any meeting of the Executive Committee, including a virtual meeting, shall be seven, excluding the nominated members.

18. **Powers, Duties and Responsibilities of the Member Secretary of the Executive Committee.-** (1) There shall be a Member Secretary of the Executive Committee to discharge the functions of the Executive Committee.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall,-

(a) administer and manage the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Executive Committee.

(b) exercise such administrative and financial powers as may be delegated by the Executive Committee or as may be assigned by the Chairperson, Executive Committee.

(3) The Member Secretary of the Executive Committee shall have the following duties and responsibilities, without prejudice to the generality of sub-rule (2) and (3), namely:-

(a) to cause the preparation of the annual plan and related annual budget and submit them to the Executive Committee for consideration and recommendation to the Governing Body;

(b) to ensure that due diligence has been exercised before considering proposals or projects to be undertaken by the Trust in accordance with the practices, procedure, rules or directions of the Executive Committee;

(c) to ensure that the activities of the Trust are being conducted in accordance with the annual plan and related annual budget; and

(d) to submit to the Governing Body the approved annual plan and related annual budget for each financial year to the Central Government, by the end of January of previous financial year.

19. **Annual Plan.-** (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, at the beginning of each financial year, cause preparation of plans for short term projects and long term projects proposed to be undertaken by the

Trust in the relevant financial year, to be referred as the **annual Plan**, together with details of the activities to be undertaken or completed by the Trust during such time, the expected time for completion of the projects and cost for such projects.

(2) The annual plan shall contain all projects, programmes, activities proposed to be undertaken by the Trust for achieving its objective and shall have clearly demarcated milestones.

20. **Annual Budget.**- The Member Secretary of the Executive Committee shall, at the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of the funding requirements in this regard, to be referred as the **annual budget**.

21. **Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.**- (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall, on receipt of the copies of the duly approved annual plan and the related annual budget from the Convener of the Governing Body, submit the same to the Central Government within a period of thirty days from the date of receipt of approval of the Governing Body.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), the Trust may undertake expenditures for activities that are not approved in the annual plan subject to specific approval by the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body with the next annual budget.

(4) The annual plan and related annual budget may be amended at any time subject to the approval of the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body with the next year annual plan or budget.

22. **Annual Report.**- (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, within ninety days of the end of each financial year, submit an annual report containing such information as deemed appropriate by the Executive Committee.

(2) The annual report shall be approved by the Executive Committee and shall contain details, *inter alia*, of the activities completed by the Trust during the financial year and the expenditure incurred by the Trust during such financial year.

(3) A copy of the annual report shall be sent to the Central Government within a period of thirty days from the date of its approval by the Executive Committee.

23. **Financial year.**- (1) The accounting or financial year of the Trust shall be from the 1st of April to the 31st of March.

(2) The first year of operations of the Trust may be a partial year.

24. **Maintenance and Audit of Accounts.**- (1) The accounts of the Trust shall be maintained in the form, mode and manner as may be decided by the Central Government.

(2) The accounts of the Trust Fund shall be audited in such manner as may be decided by the Central Government.

(3) After the audit referred to in sub-rule (2), the Trust shall submit the annual report to the Central Government.

[F.No.11/8/2015-M.I]

R.SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.